>

Title: Situation arising out of decision of the Supreme Court to declare Agra as Taj Trapezium Zone (TTZ).

प्रो. रामशंकर (आगरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आगरा लोकसभा क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। जहां ताजमहल है और 50-60 हजार दर्शक रोज आते हैं लेकिन वहां विकास की दृष्टि से शून्यता है। दुर्भाग्य से वहां फाउंडरी उद्योग परम्परागत रूप से चलता था लेकिन वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस उद्योग को प्रदूषण के कारण बंद कर दिया गया। वहां पूरी तरह से बेरोजगारी है और कोई दूसरा उद्योग नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हर साल आगरा से 10-20 हजार नौजवान देश के कोने-कोने में जाकर रोजगार के लिए भटकते हैं, वहां पर रोजगार सृजित किये जाएं, वहां पर आईटी पार्क का विकास किया जाए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर जो लम्बित योजनाएं हैं, उन्हें पूरा किया जाए। वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कोरीडोर की योजना है, उसे विकसित किया जाए। विशेषरूप से आगरा में जसवंतसिंह आयोग की रिपोर्ट लागू हो जिससे हाई-कोर्ट की खंडपीठ का निर्माण हो सके और नौजवानों को वहां पर रोजगार मिल सके।

माननीय सभापति जी, आगरा में जो स्थिति है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर जिस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए रोजगार सृजित किये जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।